न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 127 / 2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मुरली मनोहर पिता लक्ष्मीनारायण जाति सोनी निवासी— गुडाकलां, तहसील— सोजत, जिला— पाली।		1. महिपालसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी— गुड़ाश्यामा, तहसील— सोजत, जिला— पाली 02. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।

—ः निर्णय ः—

दिनांक 22/9/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम खेड़ाबिरा पटवार हल्का गुड़ारामसिंह भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाकलां तहसील सोजत में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त रूप सें दर्ज सुदा खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 140, 142 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.600 हैक्टर की आई हुई स्थित है। उक्त वर्णित वादस्थ आराजी कृषि भूमि को प्रार्थी ने उनके प्रिंसिपल विक्रेता राधेश्याम पुत्र बस्तीमल, कानाराम पुत्र बस्तीमल, दिनेश पुत्र बस्तीमल, सुआदेवी पत्नी बस्तीमल, इन्द्रा उर्फ इन्द्रा बेन पुत्री बस्तीमल, जसोदा पुत्री बस्तीमल, संगीता पुत्र बस्तीमल, सुखिया पुत्री बस्तीमल, शिवलाल पुत्र चुनाराम, ओमप्रकाश पुत्र चुनाराम, पिस्ता पुत्री चुनाराम, कमलादेवी पुत्री चुनाराम के हिस्से को जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामा के जरिए दिनांक 03.07.2020 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, तब से प्रार्थी उक्त कृषि भूमि के 02 / 03 हक हिस्सा पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 का 01 / 03 हक हिस्सा खातेदारी दर्ज सुदा स्थित है। प्रार्थी के प्रिंसिपल विक्रेता व अप्रार्थी के प्रिंसिपल विक्रेता के बीच पूर्व में वादग्रस्त कृषि भूमि का मौके पर मौखिक रूप से बंटवाडा किया हुआ था तथा मौके पर अलग अलग काबिज काश्त थे। वक्त खरीद से प्रार्थी बतौर खातेदार अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक, निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का पूर्व में सभी खातेदारान के बीच वर्षो पूर्व मौके पर भौतिक रूप से बंटवाडा कर अलग अलग काबिज हो चुके थे। प्रार्थी द्वारा खरीद करने के बाद बतौर खातेदार काबिज काश्त है। प्रार्थी ने दिनांक 18.07.2021 को अपने बंट व हिस्से की कृषि भूमि में कंटिली झाडियों की कटाई एव साफ सफाई करवा लेगा, तब अप्रार्थी ने मौके पर आकर वाद विवाद करना शुरू कर दिया तथा प्रार्थी को एलानिया कहा कि उक्त कृषि भूमि पर काश्त नहीं करने देंगे, तब प्रार्थी ने कहा कि उक्त कृषि भूमि का बंटवाडा कर अलग अलग करवा लो, तब अप्रार्थी ने कहा कि उक्त कृषि भूमि का बंटवाडा नही होने देगें, न ही काश्त करने देंगे। प्रार्थी अपने बंट व हिस्से की कृषि भूमि में उपजाउ बनाने के लिए उसमें खाद एवं मिट्टी डलवाना चाहता है तथा उसमें पेड़ पौधे भी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

लगाना चाहता है, लेकिन वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड किया हुआ नहीं होने से अप्रार्थी ने प्रार्थी के साथ धोरा पाली एवं माठो को लेकर वाद विवाद करना शुरू कर दिया है। अप्रार्थी ने प्रार्थी के हक हिस्से व बंट की कृषि भूमि में काश्त करने में बाधा एवं अवरोध पैदा करना शुरू कर दिया। तब प्रार्थी ने अप्रार्थी से निवेदन किया कि तहसील कार्यालय चलकर वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवा लेा, लेकिन अप्रार्थी ने वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवानो से साफ इंकार कर दिया एवं एक साथ तहसील कार्यालय चलने से भी इंकार कर दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहा है। अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा अवरोध एवं दखअंदाजी पैरा करना शुरू कर दी तथा धोरा पाली एवं मोठों के बिखेर कर प्रार्थी के काश्त में बाधा अवरोध पैदा कर रहे है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि को बेचान हस्तान्तरण करने पर आमदा है जिसका अप्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। जिसे स्थाई निषेधाज्ञा के जरिए रूकवाया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। इसएि वाद बाबत बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध अप्रार्थी पेश किया है। प्रार्थी अपने बंट व हिस्से की कृषि भूमि पर बतौर खातेदार शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है तथा अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा अवरोध पैदा करना शुरू कर दिया है, प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में 02/03 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का है। अप्रार्थी प्रार्थी के हक हिस्से की कृषि भूमि के कब्जे काश्त में बाधा अवरोध एवं दखल अंदाजी पैदा कर है तथा प्रार्थी को काश्त भी नहीं करने दे रहे है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी नाजायज तरीके से प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल कर बेचान हस्तान्तरण कर देते है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी, जिसका मूल्याकंन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा एवं प्रार्थी को अपने हक व अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा।

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी ने यह राजस्व प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 को ताफैसला मुल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए पाबंद किया जावे कि सरहद मौजा ग्राम खेड़ानाबरा पटवार हल्का गुड़ारामसिंह भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाकलां तहसील सोजत में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त रूप सें दर्ज सुदा खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 140, 142 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.500 हैक्टर में प्रार्थी के 02/03 हक हिस्से की कृषि भूमि में बाधा अवरोध एवं दखलअंदाजी पैदा न तो स्वयं द्वारा करने, न ही किसी नौकर एजेन्ट आदि से कराने तथा किसी विशिष्ठ भू भाग बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि नहीं करने तथा रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश दवे ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जवाब प्रार्थना पत्र हेतु बार बार अवसर दिए जाने के बावजूद अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 22.09.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किए जाने का अवसर समाप्त किया गया।

बहस वकुलाय सुनी। अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया अप्रार्थी संख्या 01 को ताफैसला मुल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए पाबंद किया जावे कि सरहद मौजा ग्राम खेड़ानाबरा पटवार हल्का गुड़ारामसिंह भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाकलां तहसील सोजत में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त रूप सें दर्ज सुदा खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 140, 142 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.500 हैक्टर में प्रार्थी के 02/03 हक हिस्से की कृषि भूमि में बाधा अवरोध एवं दखलअंदाजी पैदा न तो स्वयं द्वारा करने, न ही किसी नौकर

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

एजेन्ट आदि से कराने तथा किसी विशिष्ठ भू भाग बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि नहीं करने तथा रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने की ईस्तदुआ की है। जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र कपोलकल्पित व वर्णित तथ्यों को झुठा बताते हुए खारिज किए जाने की ईस्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वर्तमान परिपेक्ष्य में चूकि वादस्थ भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 वादस्थ भूमि में संयुक्त खातेदार है। लिहाजा खातेदार काश्तकार के विरूद्ध वर्तमान परिपेक्ष्य में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 22/9/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत